



पत्रांक - 1482 / 11A
सेवा में

दिनांक 14/11/2025

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- जनपद चमोली के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव-लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 08बी०/यू०सी०पी०/०६/२८२/२०/एफ०सी० दिनांक ०८.०९.२०२५ एवं प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर का पत्रांक १८२५/१२-१ गोपेश्वर दिनांक १४.११.२०२५

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में उपरोक्त विषयक मार्ग पर NPV की दरों में भारत सरकार द्वारा दिये गये निदेशों के क्रम में पुनः निर्धारण किया गया है इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक १८२५/१२-१ गोपेश्वर दिनांक १४.११.२०२५ (छाया प्रति संलग्न) द्वारा पूर्व में जमा की गयी NPV की धनराशि रु० १८,१८,४४०.०० के अतिरिक्त वर्तमान में नई दरों के अनुसार NPV की अवशेष धनराशि रु० ९,६३,७७३.०० जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में खण्ड द्वारा उक्त अतिरिक्त धनराशि रु० ९,६३,७७३.०० का ऑनलाईन डिमांड आपके कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण पर अतिरिक्त NPV धनराशि को Online Approve करने की कृपा करें, ताकि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

पत्रांक - / तददिनांक

प्रतिलिपि:- १. प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
२. सहायक अभियन्ता प्रथम निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गैरसैण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
गैरसैण (चमोली)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone @ Fax No&01372252149

Email-dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:- 1825 / 121 गोपेश्वर,
सेवा में,

दिनांक 14/11/2025

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसैंण।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव-लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2. 152 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक 08बी०/यू०सी०पी०/०६/२८२/२०/एफ०सी०, दिनांक 08.09.2025 एवं आपका पत्रांक 1216/1एल०ए०, दिनांक 15.09.2025।

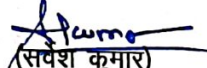
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के फाईल सं० 5-3/2011-FC(Vol-1), दिनांक 19.01.2022 द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार विषयक मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 05 वर्ष से अधिक एवं विधिवत् स्वीकृति आतिथि तक प्राप्त न होने के कारण अतिरिक्त एन०पी०वी० की धनराशि निम्न विवरणानुसार जमा की जानी है :-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	सैद्धान्तिक स्वीकृति का दिनांक	पूर्व की दरों के अनुसार जमा की गई एन०पी०वी० की धनराशि	वर्तमान दरों के अनुसार एन०पी०वी० की अवशेष धनराशि जिसे जमा किया जाना है
1	जनपद चमोली के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव-लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन	14.03.2018	2.152 X 8,45,000.00 =18,18,440.00	2.152 X 12,92,850.00 = 2782213.20 (अवशेष धनराशि) = 9,63,773.00

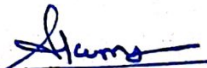
अतः उक्तानुसार एन०पी०वी० की अवशेष धनराशि जमा करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

भवदीय,


(सुरेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

संख्या 1825 / 121 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


(सुरेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।